UPJB010004612010

Presented on : 14-12-2010
Registered on : 16-08-2015
Decided on : 20-05-2023
Duration : 12 years, 5 months, 6 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, अमरोहा।

उपस्थित–श्री स्वपन दीप सिंघल, (एच0जे0एस0) (जे0ओ0कोड नं0–UP 2717)

<u>विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 128/2010</u>

राज्य ....प्रति.....................................जुल्फिकार पुत्र हकीम जाबिद

निवासी ग्राम सालेपुर कोटला
थाना धौलाना जिला हापुड़।
मु0अ0सं0– 25/2010
धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद
एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप
(निवारण) अधिनियम 1986
थाना– आदमपुर
जिला–अमरोहा

सम्बन्धित

UPJB010063512022

Presented on : 14-12-2010
Registered on : 16-08-2015
Decided on : 20-05-2023
Duration : 12 years, 5 months, 6 days

<u>विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 873/2022</u>

राज्य ....प्रति.....................................1. इब्राहिम पुत्र रहमत

2. साजिद पुत्र खुर्शीद

3. अफसर पुत्र इस्लाम

निवासीगण ग्राम सालेपुर कोटला
थाना धौलाना जिला हापुड़।
मु0अ0सं0– 25/2010
धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद
एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप
(निवारण) अधिनियम 1986
थाना– आदमपुर
जिला–अमरोहा

Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2023.05.20 16:21:17 CLT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>निर्णय</u>

<u>(आज दिनांक– 20.05.2023 को उदघोषित)</u>

1– पुलिस थाना आदमपुर द्वारा मु0अ0सं0 25/2010 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियुक्तगण जुल्फिकार, इब्राहिम, साजिद व अफसर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात प्रेषित किये गये आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण जुल्फिकार, इब्राहिम, साजिद व अफसर का विचारण किया गया है। अभियुक्तगण की यह पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, अमरोहा के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु अन्तरित की गयी है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा के0आर0 भारतीय थानाध्यक्ष थाना आदमपुर द्वारा दिनांक 14.01.2010 को समय 17:15 पी.एम. बजे जुबानी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस कथन के साथ दर्ज कराई गयी कि मैं थानाध्यक्ष के0आर0 भारतीय दिनांक 28.08.2009 से तैनात हूँ। मुझ थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त जुल्फिकार पुत्र हकीम जाबिद, इब्राहिम पुत्र रहमत, साजिद पुत्र खुर्शीद, अफसर पुत्र इस्लाम निवासीगण सालेपुर थाना धौलाना गाजियाबाद के अपराधिक इतिहास का अवलोकन किया तो मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0सं0 बनाम जुल्फिकार आदि चारो अभियुक्तगण उपरोक्त के आर.ओ.पी. रहरा पर पंजीकृत है, जिसमें आरोप पत्र संख्या 374/2009 दिनांक 29.12.2009 प्रेषित किया जा चुका है एवं मु0अ0सं0 1946/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम जुल्फिकार उपरोक्त पंजीकृत है, जिसमें आरोप पत्र संख्या 375/2009 दिनांक 29.12.2009 प्रेषित है। मु0अ0सं0 1947/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम इब्राहिम उपरोक्त पंजीकृत है, जिसमें आरोप पत्र संख्या 376/2009 दिनांक 29.12.2009 प्रेषित है, मु0अ0सं0 1948/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम साजिद उपरोक्त पंजीकृत है, जिसमें आरोप पत्र संख्या 377/2009 दिनांक 29.12.2009 प्रेषित है व मु0अ0सं0 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम अफसर उपरोक्त पंजीकृत है, जिसमें आरोप पत्र संख्या 378/2009 दिनांक 29.12.2009 प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त जुल्फिकार उपरोक्त ने एक संगठित गैंग बना रखा है एवं जुल्फिकार इस गैंग का स्वयं लीडर है तथा इब्राहिम, साजिद व अफसर उपरोक्त सक्रिय सदस्य हैं। उपरोक्त अभियुक्तगण लूट व चोरी करके अपना जीवन यापन करते हैं तथा अवैध सम्पत्ति अर्जित करते हैं। गैंग लीडर जुल्फिकार गैंग का जनता में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि इस गैंग के किसी भी सदस्य के विरूद्ध कोई भी जनता का व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने एवं गवाही देने का साहस नहीं करता है। इस गैंग का स्वच्छन्द विचरण करना जनहित में नहीं है। इस गैंग के सदस्यों के विरूद्ध उ0प्र0

गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण से गैंगचार्ट अनुमोदित कराया जा चुका है।

3– जुबानी सूचना के आधार पर दिनांक 14.01.2010 को समय 17:15 बजे थाना आदमपुर पर अभियुक्तगण जुल्फिकार, इब्राहिम, साजिद व अफसर के विरूद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अर्न्तगत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गयी।

4– अंवेषण अधिकारी ने अभियुक्तगण व गवाहान के बयान अंकित किये तथा पुलिस अधीक्षक महोदय से अभियोग चलाने की अनुमति प्राप्त की एवं पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तगण जुल्फिकार, इब्राहिम, साजिद व अफसर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

5– अभियुक्तगण जुल्फिकार, इब्राहिम, साजिद व अफसर के विरूद्ध न्यायालय अपर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 22.03.2012 को धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अर्न्तगत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

6– न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.09.2022 के द्वारा अभियुक्तगण इब्राहिम, साजिद व अफसर की पत्रावली मूल पत्रावली विशेष सत्र परीक्षण संख्या 128/2010 से पृथक की गयी एवं अभियुक्तगण इब्राहिम, साजिद व अफसर की पत्रावली को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 873/2022 पर दर्ज किया गया।

7– उपरोक्त दोनो पत्रावलियॉ एक ही अपराध से सम्बन्धित है एवं मूल विशेष सत्र परीक्षण संख्या 128/2010 में ही दोनो पत्रावलियों से सम्बन्धित साक्ष्य अंकित की गयी है, अतः दोनों पत्रावलियों का एक ही साक्ष्य के आधार पर सुविधा हेतु निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

8– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षियों के रूप में पी0डब्लू0–1 एस0आई0 कल्लूराम भारती, पी0डब्लू0–2 सेवानिवृत्त एस0आई0 राधेश्याम शर्मा, पी0डब्लू0–3 एस0आई0 दीपक कुमार, पी0डब्लू0–4 एच0सी0पी0 रामफूल सिंह, पी0डब्लू0–5 सेवानिवृत्त निरीक्षक राजवीर सिंह को परीक्षित कराया गया।

9– **पी0डब्लू0–1 एस0आई0 कल्लूराम भारती,** जोकि प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा है, के द्वारा सशपथ साक्ष्य देते हुए कथन किया गया कि मैं दिनांक 14.01.2010 को थानाध्यक्ष के पद पर थाना आमदपुर में तैनात था। उक्त दिनांक को समय 17:15 बजे अभियुक्तगण जुल्फिकार, इब्राहिम, साजिद, अफसर निवासीगण

ग्राम सालेपुर थाना धौलाना जिला गाजियाबाद के अपराधिक इतिहास का अवलोकन किया तो मुअ0सं0 1945/2009 अन्तर्गत धारा 398, 401 भा0दं0सं0 बनाम जुल्फिकार आदि चारों मुल्जिमान उपरोक्त चौकी रहरा थाना आदमपुर पर पंजीकृत था, जिसमें आरोप पत्र संख्या 374/09 दिनांक 29.12.2009 को प्रेषित हो चुका था एवं मु0अ0सं0 1946/09 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम जुल्फिकार पंजीकृत था, जिसमें आरोप पत्र संख्या 375/09 दिनांक 29.12.2009 को प्रेषित हो चुका था। मु0अ0सं0 1947/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम इब्राहिम पंजीकृत था, जिसमें आरोप पत्र संख्या 376/09 व मु0अ0सं0 1948/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम साजिद पंजीकृत था, जिसमें आरोप पत्र संख्या 377/09 व मु0अ0सं0 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम अफसर पंजीकृत था, जिसमें आरोप पत्र संख्या 378/209 था, उपरोक्त सभी मुकदमों के आरोप पत्र दिनांक 29.12.2009 को प्रेषित हो चुके थे। अभियुक्त जुल्फिकार ने स्वयं गैंग लीडर बनकर अभियुक्तगण इब्राहिम, अफसर व साजिद के साथ एक सक्रिय गैंग संगठित कर रखा था और लूट व चोरी जैसे जघन्य अपराध करके अवैध सम्पत्ति अर्जित करते थे, जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त था, जिस कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने को तैयार नहीं होता था। जिस कारण उक्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही होना न्याहित में था। इसी कारण मेरे द्वारा गैंगचार्ट तैयार कर क्षेत्राधिकारी पुलिस हसनपुर, पुलिस अधीक्षक जे0पी0नगर, अपर पुलिस अधीक्षक जे0पी0नगर से गैंगचार्ट अनुमोदन कराकर थाना आदमपुर पर मु0अ0सं0 25/2010 अन्तर्गत धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट कायम कराया गया, जिसकी चिक एफ0आई0आर0 मूल व गैंगचार्ट मूल पत्रावली पर मौजूद है। इस चिक एफ0आई0आर0 व गैंगचार्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी द्वारा चिक एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क–1** व गैंगचार्ट को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया गया है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया कि मु0अ0सं0 1945/2009 मेरे सामने पंजीकृत हुआ था। मुल्जिमान के खिलाफ प्रेषित गैंगचार्ट में मु0अ0सं0 1945/2009 व उससे सम्बन्धित मुकदमें धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंकित हैं। इन्हीं मुकदमों के आधार पर जिनमें मुख्य मुकदमा धारा 398, 401 भा0दं0सं0 के आधार पर मैंने एफ0आई0आर0 लिखायी थी। मैंने गैंगचार्ट में यह लिखा है कि उपरोक्त गैंग लूट/चोरी करके अपना जीवन यापन करता है तथा अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है, के सम्बन्ध में कोई मुकदमें पंजीकृत नहीं है और न ही अवैध सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य मेरे पास था। इनके गैंग के

सम्बन्ध में जनता के किसी व्यक्ति ने कभी शिकायत नहीं की थी।

अन्य कोई भी उल्लेखनीय तथ्य उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में सामने नहीं आया है।

10— पी0डब्लू0—2 सेवानिवृत्त एस0आई0 राधेश्याम शर्मा द्वारा सशपथ साक्ष्य देते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 26.12.2009 को मैं रिर्पोटिंग चौकी रहरा पर एच0सी0पी0 के पद पर तैनात था। दिनांक 26.12.2009 को मैं व हमराही कॉस्टेबल देवकरन शर्मा मय कॉस्टेबल गंगाराम के साथ चौकी से रवाना होकर रोड गस्त व शान्ति व्यवस्था में मामूर था। मुखबिर खास की सूचना के आधार पर लूट की योजना बना रहे व्यक्तियों को मौके पर पहुॅचकर दबिश देकर चार बदमाशों को समय 2:30 बजे रात्रि मौके पर ही पकड़ लिया था। पकड़े गये व्यक्तियों से इनके नाम पते पूछे तो इन्होंने अपने नाम जुल्फिकार पुत्र हकीक जाबिद, इब्राहिम पुत्र रहमत, साजिद पुत्र खुर्शीद, अफसर पुत्र इस्लाम निवासीगण सालेपुर थाना धौलाना जिला गाजियाबाद बताया था। इनकी जामा तलाशी ली गयी तो चारों के पास से एक—एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुए थे, जिनके हुलिये फर्द में लिखे हैं। बरामद चारों चाकुओं को अलग—अलग कपड़े में रखकर सिलकर सील सर्वे मोहर कर अलग—अलग नमूना मोहर बनाये गये। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में लिख—पढकर हमराही कर्मचारीगण की गवाही बनवायी गयी थी। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर लिख—पढकर बनाया गया था। हमराही कर्मचारियों की मदद से चाकी रहरा पर पहुॅचकर व फर्द के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराये गये थे।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया कि गैंगचार्ट में जो मुकदमे दर्ज किये हैं, उनमें अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं। गैंगचार्ट में दर्ज मुकदमों को आधार पर ही गैंगस्टर की कार्यवाही कर दी थी। मेरी जानकारी में यह नहीं आया था कि अभियुक्तगण ने कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित कर ली हो। जनता के किसी व्यक्ति ने मुल्जिमान के विरूद्ध हमसे कोई शिकायत नहीं की थी।

अन्य कोई भी उल्लेखनीय तथ्य उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में सामने नहीं आया है।

11— पी0डब्लू0—3 एस0आई0 दीपक कुमार द्वारा सशपथ साक्ष्य देते हुए कथन किया है कि दिनांक 26.12.2009 को मैं रिर्पोटिंग चाकी रहरा में एच0एम0 के पद पर तैनात था। उस दिन 5:00 बजे एच0सी0पी0 राधेश्याम द्वारा दाखिल की गयी फर्द के आधार पर मैंने मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0सं0 बनाम जुल्फिकार आदि, मु0अ0सं0 1946/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम जुल्फिकार, मु0अ0सं0 1947/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम इब्राहिम, मु0अ0सं0 1948/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम साजिद, मु0अ0सं0

1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम अफसर पंजीकृत कर चिक संख्या 104/2009 अंकित की थी, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है, पहचानता हूँ। इस साक्षी द्वारा इन मुकदमों की चिक की प्रमाणित छायाप्रति को **प्रदर्श क–3** व इन मुकदमों की मुकदमा कायमी जी0डी0 की प्रमाणित प्रति को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया गया है।

कोई भी उल्लेखनीय तथ्य उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में सामने नहीं आया है।

12– पी0डब्लू0–4 एस0आई0 नफीस अहमद द्वारा सशपथ साक्ष्य देते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 26.12.2009 को मैं थाना आदमपुर में रहरा चाकी पर तैनात था। दिनांक 26.12.2009 को ही मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0सं0 बनाम जुल्फिकार आदि, मु0अ0सं0 1946/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम जुल्फिकार, मु0अ0सं0 1947/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम इब्राहिम, मु0अ0सं0 1948/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम साजिद, मु0अ0सं0 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम अफसर पंजीकृत होकर वास्ते तफतीस मुझे सुपुर्द थी। बयान गवाहान मौका मुआयना व दीगर तफसीसी कार्यवाहियों से मुल्जिमान के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 398, 401 भा0दं0सं0 व 4/25 आयुध अधिनियम में मुल्जिमान जुल्फिकार, इब्राहिम, खालिद, अफसर के विरूद्ध दिनांक 29.12.2009 को किता किया है, जिसकी प्रमाणित छायाप्रति 9 वर्कों में पत्रावली पर संलग्न है, जो कागज संख्या 5/5 है। यह अभियोग मुल्जिमान के विरूद्ध लूट व चोरी करने की योजना बनाते समय पकड़े जाने व नाजायज चाकू की बरामदगी से सम्बन्धित थे। इस साक्षी द्वारा उपरोक्त मुकदमों के आरोप पत्रों को **प्रदर्श क–5** ता **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित किया गया है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया कि जो मुकदमें मुल्जिमान पर लगे हैं, उनमें अवैध सम्पत्ति अर्जित करने का साक्ष्य नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त मुकदमें में मुल्जिमान दोषमुक्त हो चुके हैं। मैंने किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की है।

अन्य कोई भी उल्लेखनीय तथ्य उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में सामने नहीं आया है।

13– पी0डब्लू0–5 सेवानिवृत्त निरीक्षक राजवीर सिंह जोकि उक्त मुकदमें के विवेचक है, के द्वारा सशपथ साक्ष्य देते हुए अभियुक्तगण एवं गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित करने तथा विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने का कथन करते हुए आरोप पत्र को **प्रदर्श क–10** के रूप में

साबित किया गया है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया कि मेरे द्वारा अभियुक्तगण के घर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। जनता के किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण विवेचना के दौरान ऐसा कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य नहीं दिया था कि अभियुक्तगण का समाज में भय व आतंक है या अवैध रूप से लाभ अर्जित करते हैं।

अन्य कोई भी उल्लेखनीय तथ्य उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में सामने नहीं आया है।

14– गवाहों के बयान के आधार पर अभियोजन प्रपत्रों में चिक एफ0आई0आर0 पर **प्रदर्श क–1,** गैंगचार्ट पर **प्रदर्श क–2**, मु0अ0सं0 1945/2009, मु0अ0सं0 1946/2009, मु0अ0सं0 1947/2009, मु0अ0सं0 1948/2009, मु0अ0सं0 1949/2009 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति पर **प्रदर्श क–3,** इनसे सम्बन्धित जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति पर **प्रदर्श क–4**, इन मुकदमों से सम्बन्धित आरोप पत्रों पर **प्रदर्श क–5 ता 9**, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें के आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–10** डाले गये।

15– तदनुसार अभियोजन द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया गया एवं अभियुक्तगण उपरोक्त को उनका कथन अर्न्तगत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित करने हेतु आहुत किया गया। जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाये गये आरोप को झूंठा व गलत बताते हुये अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को गलत साबित करना, मुकदमा रंजिशन चलने, गवाहान द्वारा रंजिशन बयान देने का कथन करते हुए यह भी कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उनके विरूद्ध गैंगचार्ट में जो मुकदमें दर्शाये गये है, वे उनमें बरी हो चुके हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है।

16– बचाव पक्ष द्वारा बचाव साक्ष्य के रूप में मु0अ0सं0 1945/2009, मु0अ0सं0 1946/2009, मु0अ0सं0 1947/2009, मु0अ0सं0 1948/2009, मु0अ0सं0 1949/2009 के निर्णायादेश की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है, जिनमें अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है।

17– न्यायालय द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने व पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

18– विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन द्वारा अपने साक्षियों के साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करके अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर नाजायज शस्त्रों के बल पर लूट व चोरी करने की योजना बनाने जैसे जघन्य अपराध किये जाते हैं, जिनके सम्बन्ध में

अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0सं0, मु0अ0सं0 1946/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1947/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1948/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत है। इन्ही आधारों पर विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का कथन किया गया है।

19– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन द्वारा इस बावत की अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर उपरोक्त अपराध करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है या अभियुक्तगण के गिरोह के कारण जनता में भय व्याप्त है, कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0सं0, मु0अ0सं0 1946/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1947/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1948/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत थे, जिनके निर्णायादेश की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है, जिनमें अभियुक्तगण को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। पत्रावली पर एक भी ऐसा साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण का कोई संगठित गिरोह है, जिस कारण उन्हें गैंगस्टर मानकर उनको गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध किया जाये। इन्हीं आधारों पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का कथन किया गया है।

20– अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 14.01.2010 को समय 17:15 बजे से पूर्व विभिन्न समय व स्थान पर आपने अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने के लिये एवं समाज में आतंक फैलाने के लिये मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0सं0, मु0अ0सं0 1946/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1947/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1948/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत एकल एवं सामूहिक रूप से अपराध कारित किये। इस प्रकार उसने धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम के अधीन अपराध कारित किया।

21– अतः अब न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि **क्या अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित किया गया है?**

<u>निष्कर्ष</u>

22— **उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986** की धारा **2ख** के अनुसार—

"गिरोह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियो के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीडन द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी किया कलाप करते है—

1—भा0द0सं0 1860 के अध्याय 16 या अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, या

2—................................ ।"

उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2 ग *के अनुसार—*

''गिरोह बंद का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड में प्रगणित किसी गिरोह के किया कलाप के लिये चाहे ऐसे किया कलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे किया कलाप किये हो, संश्रय देता है।''

इस प्रकार गिरोह की परिभाषा की अपेक्षा है कि—

(क) गिरोह का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से है।

(ख) इन व्यक्तियों ने या तो अकेले या सामूहिक रूप से आपराधिक कृत्य हो

(ग) ऐसे कृत्य में हिंसा या धमकी या अभित्रास या प्रपीडन का प्रदर्शन हो।

(घ) ऐसे कृत्य लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से किये हो।

23— अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु पांच साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। उक्त पांच साक्षियों की साक्ष्य का विवेचनात्मक विश्लेषण निम्न प्रकार है—

अभियोजन साक्षी सं0—1 एस0आई0 कल्लूराम भारती—

उक्त साक्षी प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा है एवं उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में गैंगचार्ट एवं हस्तगत प्रकरण की एफ0आई0आर0 को साबित करते हुए यह कथन किया कि दिनांक 14.01.2010 को जब वे थानाध्यक्ष के पद पर थाना आदमपुर में तैनात थे तब समय 17:15 बजे उन्होंने अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया तो मुल्जिमान के विरूद्ध मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0सं0, मु0अ0सं0 1946/2009 धारा 4/25

आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1947/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1948/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत थे, जिनके आरोप पत्र प्रेषित हो चुके थे। इन अभियुक्तगण सक्रिय संगठित गैंग था, जो लूट व चोरी जैसे जघन्य अपराध करके अवैध सम्पत्ति अर्जित करते थे, जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त था, जिस कारण जनता का कोई व्यक्ति उनके विरूद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता था। इसी कारण साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उक्त साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मु0अ0सं0 1945/2009 उसके सामने पंजीकृत हुआ था। मुल्जिमान के खिलाफ प्रेषित गैंगचार्ट में मु0अ0सं0 1945/2009 व उससे सम्बन्धित मुकदमे धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंकित हैं। इन्हीं मुकदमों के आधार पर जिनमें मुख्य मुकदमा धारा 398, 401 भा0दं0सं0 के आधार पर साक्षी द्वारा एफ0आई0आर0 लिखाई गयी थी। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि उपरोक्त गैंग के द्वारा अवैध सम्पत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में उसके पास कोई साक्ष्य नहीं था और न ही उनके गैग के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की थी। उपरोक्त साक्षी का अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन करना कि उनके द्वारा हस्तगत गैगस्टर एक्ट का मुकदमा मुख्य रूप से मु0अ0सं0 1945/2009 के आधार पर लिखाया गया था एवं उसके पास न तो उपरोक्त कथित गैंग के द्वारा अवैध सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य था और न ही उक्त गैंग के सम्बन्ध में उसे किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की थी, कहीं–न–कहीं यह सिद्ध करता है कि साक्षी द्वारा हस्तगत गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा मात्र अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में पंजीकृत मुकदमों के आधार पर ही पंजीकृत कराया गया था। इसके अतिरिक्त मु0अ0सं0 1945/2009 के वादी मुकदमा पी0डब्लू0–2 सेवानिवृत्त एस0आई0 राधेश्याम शर्मा द्वारा भी अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया गया कि गैंगचार्ट में दर्ज मुकदमों के आधार पर ही गैंगस्टर की कार्यवाही कर दी गयी थी। उक्त साक्षी के उक्त कथन से भी यही सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण पर हस्तगत गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा मात्र उनके विरूद्ध पूर्व में पंजीकृत मुकदमों के आधार पर ही पंजीकृत कराया गया था। पुनः हस्तगत मुकदमें के वादी मुकदमा एस0आई0 कल्लूराम भारती द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया गया कि उनके पास अभियुक्तगण के द्वारा अवैध सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं था और न ही इस गैंग के सम्बन्ध में जनता के किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की थी, उक्त कथन उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जो लूट व चोरी जैसे जघन्य अपराध करके अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है, जिसका जनता में भय व आतंक व्याप्त है, से पूर्ण रूप से विरोधाभासी है, जो इसी

ओर इंगित करता है कि उक्त साक्षी के पास हस्तगत प्रकरण पंजीकृत कराते समय, अभियुक्तगण के किसी गैंग होने या उनका भय व आतंक व्याप्त होने या उनके द्वारा कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित करने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था एवं उसके द्वारा मात्र पूर्व में पंजीकृत मुकदमों के आधार पर ही अभियुक्तगण के विरूद्ध हस्तगत गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जब यह सिद्ध हो चुका है उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध हस्तगत गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा उनके विरूद्ध पूर्व में पंजीकृत मुकदमों के आधार पर ही पंजीकृत कराया गया था तो पूर्व में पंजीकृत मुकदमों के निर्णायादेश हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0सं0 एवं मु0अ0सं0 1946/2009 ता 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत थे, जिनके सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा निर्णायादेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09. 2010 को उपरोक्त सभी मुकदमों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। चूंकि अभियुक्तगण के गैंग होने के सम्बन्ध में बिना किसी साक्ष्य के मात्र जिन मुकदमों के आधार पर हस्तगत गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा उक्त साक्षी द्वारा पंजीकृत कराया गया था, उन सभी मुकदमों में अभियुक्तगण को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है, अतः उक्त साक्षी के साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन कथानक को प्राप्त नहीं होता है।

<u>अभियोजन साक्षी सं0–2 सेवानिवृत्त एस0आई0 राधेश्याम शर्मा–</u>

उक्त साक्षी मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0स0 एवं मु0अ0सं0 1946/2009 ता 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के वादी मुकदमा हैं, एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी उपरोक्त मुकदमों के निर्णायादेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, के अनुसार उक्त सभी मुकदमों में सभी अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उक्त साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक को किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं करता है।

<u>अभियोजन साक्षी सं0–3 एस0आई0 दीपक कुमार–</u>

उक्त साक्षी मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0स0 एवं मु0अ0सं0 1946/2009 ता 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के एफ0आई0आर0 लेखक हैं, एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी उपरोक्त मुकदमों के निर्णायादेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, के अनुसार उक्त सभी मुकदमों में सभी अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उक्त साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक को किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं करता है।

<u>अभियोजन साक्षी सं0–4 एस0आई0 नफीस अहमद</u> –

उक्त साक्षी मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0स0 एवं मु0अ0सं0 1946/2009 ता 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के विवेचक हैं, एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी उपरोक्त मुकदमों के निर्णायादेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, के अनुसार उक्त सभी मुकदमों में सभी अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उक्त साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक को किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं करता है।

<u>अभियोजन साक्षी सं0–5 सेवानिवृत्त निरीक्षक राजवीर सिंह</u> ––

उक्त साक्षी के इस मुकदमें के विवेचक होने के कारण उक्त साक्षी का साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण व गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित करने का कथन करते हुए आरोप पत्र को सिद्ध करने मात्र का साक्ष्य दिया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण के घर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था एवं जनता के किसी व्यक्ति द्वारा विवेचना के दौरान ऐसा कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य नहीं दिया गया कि अभियुक्तगण का समाज में भय या आतंक है या वे अवैध रूप से लाभ अर्जित करते हैं। चूंकि उक्त साक्षी के द्वारा अभियुक्तगण के एक संगठित गिरोह होने एवं उनके द्वारा अर्जित सम्पत्ति या उनका भय जनता आम में व्याप्त होने के विषय में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था एवं गैंगचार्ट में दर्शित सभी मुकदमों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका था तो किसी आधार पर उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी का साक्ष्य भी अभियोजन कथानक को किसी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं करता है।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित पांच साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के ऊपर लगाये गये गैंगस्टर के आरोप किसी भी प्रकार स्थापित नहीं हो रहे है।

24– इसके अतिरिक्त यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट के अनुसार पंजीकृत मु0अ0सं0 1945/2009 धारा 398, 401 भा0दं0स0 एवं मु0अ0सं0 1946/2009 ता 1949/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णायादेश दिनांकित 27.09.2010 के अनुसार अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं।

पुनः किसी भी व्यक्ति पर गैंगस्टर का आरोप साबित करने हेतु अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह यह सिद्ध करे कि अभियुक्त द्वारा एक संगठित गिरोह बनाया गया है एवं उक्त गिरोह द्वारा अपराध कारित करके या तो आर्थिक एवं

भौतिक लाभ अर्जित किया गया है या अपराध कारित करके जनता आम में कोई भय व्याप्त कर लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया है। ऐसा कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्त द्वारा कोई संगठित गिरोह बनाया गया हो या उनके द्वारा अपराध करके कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी हो या उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य से समाज में कोई भय व्याप्त हुआ हो या लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई हो। उपरोक्त तथ्य भी अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये गैंगस्टर के आरोपो पर संदेह उत्पन्न करते है।

25– निर्णय विधि **गोविन्दा राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट द्वारा श्री रामपुरम पी0एस0 एवं एक अन्य 2012 (78) ए0सी0सी0 545** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि–

''जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है जब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध को युक्ति युक्त रूप से सन्देह से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्त पर नहीं होता है कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करे।''

26– इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के ऊपर लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 128/2010 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जुल्फिकार, मु0अ0सं0 25/2010, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना आदमपुर जनपद अमरोहा के अर्न्तगत अभियुक्त जुल्फिकार को उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 873/2022 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इब्राहिम आदि, मु0अ0सं0 25/2010, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना आदमपुर जनपद अमरोहा के अर्न्तगत अभियुक्तगण इब्राहिम, साजिद व अफसर को उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जुल्फिकार, इब्राहिम, साजिद व अफसर जमानत पर है। उनके बंध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके

दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अपील न होने दशा में बाद मियाद अपील व अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार विधि अनुसार माल मुकदमाती निस्तारित किया जाये।

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 437ए के अर्न्तगत बीस–बीस हजार रूपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू इस अंडर टेकिंग के साथ प्रस्तुत किये जा चुके हैं कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील होती है तो वे स्वयं उपस्थित होंगे।

इस निर्णयादेश की एक प्रति सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण संख्या 873/2022 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक–20.05.2023

(स्वपन दीप सिंघल)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय,
अमरोहा।

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–20.05.2023

(स्वपन दीप सिंघल)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय,
अमरोहा।

टाईपकर्ता:– सहदेव सिंह, आशुलिपिक।